

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

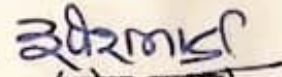
क्रमांक- एफ.2 (क) (एम-672) अलेसे- I/5627-5634

दिनांक- 27/02/25

आदेश संख्या I 72/2024-25

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक ई -08464 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में श्री मुरलीधर कुमावत, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 (लिनक नं. 3373) कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोंही के विरुद्ध जाँच रिपोर्ट अनुसार प्राथमिक जाच में गबन/हानि/गंभीर वित्तीय अनियमितता पाये जाने के कारण श्री मुरलीधर कुमावत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड, जिला सिरोंही को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के अंतर्गत दिनांक 27.02.2025 को तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलम्बित कर इनका मुख्यालय कोषालय, जोधपुर किया जाता है।

श्री कुमावत को निलम्बितकाल के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-672) अलेसे- I/5627-5634

दिनांक:- 27/02/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक ई-08464 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 2 संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्थ), शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 कोषाधिकारी कोषालय, जोधपुर।
- 4 विकास अधिकारी पंचायती समिति, आबूरोड, सिरोंही।
- 5 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 7 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 8 श्री मुरलीधर कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति आबूरोड, जिला सिरोंही।
- 9 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)